DR. H. P. SHARMA : The statement giving the information about the latest position in regard to the implementation of the Pact states that 413,000 persons together with their natural increase are still to be repatriated. According to the 1964 agreement, India is to accept for repatriation 525,000 people. Of this, 120,000 have been repatriated. But it does not tackle the basic difficulty that has cropped up in the implementation of the Pact, i.e. only 400,000 people applied whereas 525,000 were expected to apply. What do you propose to do to solve the agonizing uncertainty about the fate of these 125,000?

SHRI SWARAN SINGH : There is no uncertainty now because the 1964 agreement and the 1974 agreement combined finally decided the future of persons of Indian origin who are in Sri Lanka In the statement it has been clearly spelt out that so many persons will have to be repatriated and so many out of the persons of Indian origin would be granted Sri Lanka citizenship. So, there is no uncertainty whatsoever. There may be some difficulties in the actual procedural matters relating to implementation We are in touch with the Sri Lanka Government and I do not anticipate any difficulty in straightening out the procedural matters.

DR. H. P. SHARMA : The difficulty is still very much there. Only 400,000 have applied. Are you going to force another 125,000 to apply for Indian citizenship?

SHRI SWARAN SINGH: The ultimate number to be repatriated will be spread over the next 8 or 10 years. The number who have actually applied is enough to keep up the level of repatriation and also the level of granting citizenship right for a number of years. So, we should think of the bridges when we come to the stream and not so much ahead.

DR. H. P. SHARMA : About the fate of the remaining 75,000, is there any timelimit set for the implementation of this part of the agreement?

SHRI SWARAN SINGH : The process of implementation relating to the 75,000 mentioned in the 1974 agreement will start after we have completed the implementation of the earlier agreement. I would like to add that we will take 75,000 and 75,000 will be granted Sri Lanka citizenship on the basis of parity.

SHRI P. G. MAVALANKAR : This question, which is important, has been pending for quite some time The Minister said in the statement that because of various administrative difficulties the progress is very slow. Could he please spell out the more important difficulties that resulted this problem being kept pending for so long?

SHRI SWARAN SINGH : There were some difficulties on the Sri Lanka side. They had to pass an enabling legislation and this process took some time. So, implementation had to be slowed down. But that phase is now over and the necessary action to ensure implementation has now been taken I hope that the work will now proceed smoothly.

राष्ट्रीय उत्सवों के लिये टिकटों की बिक्री

*491. श्री लालजी भाई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय उत्सवों के लिये टिकटों की बिक्री जारी रखे जाने के प्रश्न पर दुबारा विचार करेगी, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ला) : (क) और (ख) इस वर्ष गणतन्त्र दिवस परेड को देखने के लिए बैठने के स्थानों में प्रवेश कुछ निमंत्रण-पत्रों, प्रवेश पत्रों व कुछ टिकटों द्वारा किया गया । क्योंकि यह पद्धति सन्तोषजनक सिद्ध हुई है इसलिए इसे भविष्य में समाप्त करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, इस वर्ष के अनुभव के आधार पर भविष्य में और सुधार लाने के प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री लालजी भाई : इस साल जो टिकट वगैरह लगाए तो देखने वालों की संख्या कितनी रही और पहले जब टिकट नहीं लगाते थे तब परेड देखने वालों की संख्या कितनी थी ? दोनों सालों की अलग-अलग संख्या मैं मालूम करना चाहता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस साल जो बैठने की जगह थी उसे 40,000 से बढ़ा कर 1973 में 58,400 कर दिया था और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी जब टिकट लगाए गए थे तो इस में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं हुई और जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है जो टिकट लेकर बैठने की जगह थी वह तो अलग थी और बहुत सी ऐसी जगह भी थी जहां बिना टिकट के भी लोग जा सकते थे और देख सकते थे। हम ने इस की संख्या फिर बढ़ा कर 58,500 बैठने की संख्या की और इस पूरी जगह का इस साल के रिपब्लिक डे परेड में उपयोग हुआ था।

श्री लालजी भाई : यह मालूम नहीं हुआ स्थान तो, बढ़ाए गए लेकिन जो देखने के लिए आए इस साल की तुलना में गत साल उन की संख्या क्या थी ? यह संख्या इस साल घटी है या बढ़ी है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा कि हम ने दो श्रेणियां रखी थीं। एक तो ऐसी श्रेणी थी जिस के लिए टिकट रखा गया था और कुछ ऐसी श्रेणी थी जिस के लिए न पास था न टिकट था। जहां तक कि ऐसी श्रेणी थी जिस के लिए टिकट लेना आवश्यक था उसकी संख्या जैसा मैंने बताया बढ़ा दी गई थी और उस का उपयोग पूरा-पूरा हुआ है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि यह संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है।

SHRI K. MALLANA: May I know from the hon Minister what is the purpose or the motive behind introducing the ticket system for a national function of this kind?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This has been explained in the House.

The motive is that more and more people who have no approach to the VIPs, including the Members of Parliament, should be able to come and witness the Parade. Otherwise, what used to happen was, then the ticket system was not introduced, that the people who had approaches to the Members of Parliament, the Ministers and very influential persons used to get various number of passes issued for themselves and only such people could come and witness the Parade. Now, anybody who purchases the ticket in advance or in time can come and witness the Parade. He need not approach any VIP or any Minister or the Ministry of Defence or anybody else for getting the passes. Therefore, this has enabled the common people to come and witness the national function.

SHRI R. S PANDEY. I do not know under what circumstances the decision was taken to introduce the ticket system..

MR. DEPUTY-SPEAKER : He explained it just now

SHRI R. S. PANDEY. But I may tell you, Sir, when the Government of India particularly, the Defence Ministry took the decision, there was a lot of criticism. This is the only national festival on the 26th January, the Republic Day, when the condition of purchasing tickets and all that is not considered to be palatable...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may put his question.

SHRI R S. PANDEY: May I know whether, in view of the criticism of the citizens, the Ministry of Defence is going to change the system of tickets?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have indicated in the main answer that we are not going to change it.

श्री जगदीश अवस्थी : माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले सालों में जब टिकट नहीं लगते थे तब के मुकाबिले में टिकट लगने के बाद संख्या निरन्तर बढ़ती गई, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले सालों में जब कि टिकट नहीं लगते थे तब

को इंतजाम उस के लिए करते थे और अब जब टिकट लगता है तब तो इंतजाम किया है उस इंतजाम में क्या खर्च किया है और पहले जो खर्च होता था उस खर्च में कोई फर्क आया है क्या ? क्या खर्च भी कुछ बढ़ा है क्या ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is quite possible that there might have been some difference in the expenditure in making the arrangements. But it was not really a substantial amount that was involved in making this change-over.

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि टिकट की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जन-साधारण इस को देख सके और उस को एम पी या वी आई पी के पास न जाना पड़े । मैं इस उत्तर को संतोषजनक न मानते हुए भी उन की दलील से सहमत होते हुए उन से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उन लोगों के लिए जिन के पास पैसे खर्च करने की व्यवस्था नहीं है, उन को जो पास एम पीज द्वारा वी आई पीज द्वारा दिए जाते थे, उस के नम्बर को रेस्ट्रिक्ट करते हुए उन के देखने की सुविधा पर भी विचार करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, इन पासों को घटाने के लिये या खत्म करने के लिये इस बात को सोचा गया था, लेकिन चूंकि टिकट की कीमत इतनी कम रखी गई थी, 2 रु० एक सीट के, तो कोई भी माननीय सदस्य या मंत्री यदि चाहें तो अपने किसी मेहमान या संबंधी को ले जाना चाहें तो आसानी से टिकट खरीद सकें। और हम ने इस बात का प्राविधान किया था कि मंत्रियों या संसद सदस्यों को भी यदि कोई संबंधी या मेहमानों को ले जाना है तो सब को टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी । किसी को कोई रियायत नहीं दी गई । मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने नया इंतजाम शुरू किया है यह ठीक है और इस से बहुत से ऐसे लोगों को परेड में आने का अवसर मिला जिन्हें पहले परेड में आने का अवसर नहीं मिला था ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मान्यवर, 26 जनवरी और 15 अगस्त यह दो ऐसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जिन में टिकटों का लगाना अनुचित है, और मंत्री महोदय को मालूम हुआ होगा कि समाचार-पत्रों ने इस की टीका भी की, और संसद सदस्यों ने समारोह में जाना स्थगित किया । इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हर जगह विद्यार्थियों के लिये या विदेशी पर्यटकों के लिये कंसेशन की व्यवस्था है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि अगली बार से विद्यार्थियों के लिये या विदेशी पर्यटकों के लिये कन्सेशन मिले ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने बताया सब जगह ऐसा नहीं है जहां टिकट लगते हों । कहीं कुछ जगह ऐसा है जहां टिकट लगते हैं, बाकी बहुत सी जगह विद्यार्थी लोग जा सकते हैं जो टिकट नहीं खरीदना चाहते । . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : अगर टिकट लेकर जाना चाहें तो आप कन्सेशन देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप मेरी पूरी बात तो सुनिये । माननीय सदस्य का दूसरा भाग यह था सवाल का कि जो टिकट देते हैं उस में कुछ रियायत दे सकते हैं क्या ? 2 रु० टिकट रियायती टिकट ही है । 100 रु० से लेकर 2 रु० टिकट का दाम है, तो 100 रु० उन से हम लेना चाहते हैं जो इतना पैसा दे सकते हैं, और 2 रु० उन से लेना चाहते हैं जिन के पास ज्यादा साधन नहीं हैं, इस टिकट को विद्यार्थी वगैरह ले सकते हैं । तो यही एक रियायत है जो सब के लिए उपलब्ध है ।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि जो तरीका पहली बार लागू किया गया है टिकट के जरिये लोगों को परेड दिखाने का, उससे क्या सरकार को इस बात का संतोष हुआ है, और किस तरह से संतोष हुआ है ? पहले जिस बात से असंतोष था वह दूर हो गई है ? यह मंत्री महोदय को कैसे पता चला है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम लोगों को संतोष इस बात से हुआ है कि पहली बार लोग अपने

स्वयं हो कर, जिन को रुचि थी, उन्होंने विभिन्न कीमतों के टिकटों को खरीद कर परेड देखी। इसी के साथ यह बात भी है कि किसी व्यापारिक दृष्टि से टिकट नही लगाये गये । इस में संतोष इस बात का है कि जन-साधारण या साधारण लोग अपने स्वयं होकर राष्ट्रीय उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं और देख सकते हैं । अब ऐसी बात नही है कि लोग किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा इन चीजों को उपलब्ध करने का प्रयत्न करें। हम सभी जानते है कि दिल्ली मे लाखो लोग ऐसे हैं जिन का परिचय हम से नही है, और वह लोग जो परेड में आना चाहते थे तो इस के पहले उन को इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नही थी। यह सब पता लगा कर और सोच विचार कर के ही काम किया गया है, और जो व्यक्ति आज जाना चाहता है और टिकट खरीदता है तो उस को जाने की इजाजत मिल जाती है, किसी से जान पहचान की आवश्यकता नही है।

Reinstatement of workers of telco and tube company Jamshedpur

*492. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1303 on the 28th February, 1974 regarding Reinstatement of workers of Telco and Tube Company, Jamshedpur and state:

(a) what were the proposals made to the management and whether the management has since completed consultations about the proposals; if so, the facts thereof;

(b) if not, the time-limit for the same; and

(c) the steps Union Government are taking in pursuance of the fulfilment of the assurance given in Parliament that there would be no victimisation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA): (a) to (c). According to the information made available by the Government of Bihar, on the managements' expressing inability to reinstate the dismissed workers, the Labour Minister, Bihar requested them to at least withdraw the writ pending in the High Court so as to allow the Labour Court to proceed with the cases referred to it for adjudication. Information as to whether the managements have since completed their consultation about the proposals is not yet available. The State Government have been requested to furnish requisite information as soon as possible.

SHRI BHOGENDRA JHA: This is a serious question of violation of an assurance given in this House and...

SHRI A. P. SHRAMA: By whom?

SHRI BHOGENDRA JHA: ...by the then Minister of Labour, Shri Jagjivan Ram and the then Minister of State for Labour, Shri Bhagwat Jha Azad. This related to a strike which lasted for about 40 days in 1969 . After an assurance given in this House and repeated on the radio on the 3rd January 1970, the employees withdrew their strike on the 5th January, 1970. The assurance was categorical that there would not be any victimisation. After the strike was withdrawn, on 23rd or 24th April, again the then Minister of Labour, Shri Jagjivan Ram himself gave an assurance in this House that the Government will see to it that there was no victimisation. At that time there was President's rule in Bihar and more than 40 persons have been dismissed. Twentyfive times I have put this question during these four years and it has become a sort of fight with me. So, I want to know whether the assurance given by the Government of India has no meaning or not when the management are such people like Tatas and Birlas and whether the Government is ruling the country or whether the Tatas are ruling over the Government. . .

SOME HON. MEMBERS: Both.